अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2021 (GCMS 2021/82) गुरदीप सिंह सिद्धू निवासी वार्ड नं 07, 11 पी पतरोडा, तहसील अनूपगढ– 335771 (मो.नं. 99831–89538) बनाम उपमजिस्ट्रेट, अनूपगढ

16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सिद्धू उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2021 से उपजिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2021 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
WCG Copy - Not Official

मैनें **पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2021 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

1. जगविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जन्मतिथि 30.11.1998 का जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आपके कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र, माता पिता का शपथ पत्र, दो गवाहों के शपथ पत्र मय सरकारी कर्मचारी/जन प्रतिनिधि की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जिसके आधार पर आपके कार्यालय में उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश क्रमांक 325 दिनांक 06.04.2019 जारी किया।
2. जगविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जन्मतिथि 30.11.1998 का जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आपके कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र, माता पिता का शपथ पत्र, दो गवाहों

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

शपथ पत्र मय सरकारी कर्मचारी/जन प्रतिनिधि की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जिसके आधार पर आपके कार्यालय में उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश क्रमांक 253 दिनांक 13.02.2006 जारी किया।

3. तारा चंद पुत्र गोवर्धन राम जन्म तिथि 20.05.2004 का जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आपके कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र, माता पिता का शपथ पत्र, दो गवाहों के शपथ पत्र मय सरकारी कर्मचारी/प्रतिनिधि की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जिसके आधार पर आपके कार्यालय ने उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश क्रमांक 078 दिनांक 21.12.2010 जारी किया।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई/8049 दिनांक 13.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आवेदक श्री गुरदीप सिद्धू द्वारा प्रेषित आवेदन अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम दिनांक 08.04.2021 को प्राप्त हुआ। हस्तगत प्रकरण में वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ से सम्बन्धित होन के कारण मूल आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कार्यालय हाजा के पत्रांक आर.टी.आई./7723 दिनांक 25.06.2021 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ को प्रेषित किया गया। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कार्यालय हाजा के रिकॉर्ड की प्रतिलिपियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : उक्तानुसार।

[illegible]क सूचना अधिकारी
एवं [illegible]खण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं तहसीलदार, अनूपगढ से सम्बन्धित थी, इसलिए उन्होनें अपने पत्र 7723—24 दिनांक 25.06.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, अनूपगढ को भिजवाते हुए प्रति अपीलार्थी को दी है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2021 को अपने उक्त पत्रांक 25.06.2021 से लगभग ढाई माह तहसीलदार, अनूपगढ को स्थानान्तरित किया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के परन्तुक के अनुसार लोक सूचना अधिकारी प्रार्थी के आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति की तारीख से पांच दिनो के पश्चात नहीं किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध :**
>
> ....
>
> (3) जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है :
>
> (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या
>
> (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,
>
> वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारों को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:
>
> **परन्तुक यह कि इस उप–धारा के अनुसरण मं किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि सूचना का सम्बन्ध तहसीलदार, अनूपगढ से है इसलिए लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को इस सूचना को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त सूचना को कार्यालय के सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा मंगवाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवानी चाहिए थी। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2021 में अंकित सूचना यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार देय है तो उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ साथ **तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से भी आवेदक द्वारा उक्त वांछित सूचना के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्ति के 5 दिवस भीतर भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार निर्णय करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर